न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0—88 / 2017

चानों देवी बनाम रामलखन पासवान

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09.09.2021	आवेदिका चानो देवी, पति—बढन ठाकुर, ग्राम—नावाडीह, पो0—जोगियारा, थाना—प्रतापपुर, चतरा के खाता संख्या—29, प्लॉट संख्या—176 कुल रकवा—70 डी0 विवादित भूमि पर विपक्षी रामलखन पासवान, पिता—दासो पासवान ग्राम—नागाडीह, पो0—जोगियारा, थाना—प्रतापपुर चतरा के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से दायर अभ्यावेदन के आलोक में यह विविध वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा न्यायालय में अपने—अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि प्रथम पक्ष चानो देवी एवं उसके सभी परिवार भुमिहीन परिवार हैं। यह कि प्रथम पक्ष के सभी व्यक्ति किसी तरह गॉव के दुसरी व्यक्ति के खेतों में मजदूरी कर अपना परिवार का जीविका चला रहें है। यह कि खाता संख्या—29, प्लॉट संख्या—176 कुल रकवा—70 डी0 मौजा—नावाडीह अंचल—प्रतापपुर, हल्का नं0—02 थाना नं0—01 थाना—प्रतापपुर पंचायत—सिजुआ इसकी चौहदी उत्तर रोड, दक्षिण—रामसहाय ठाकुर (आवेदिका का दादा ससुर), पुरब—स्व0 राम सहाय ठाकुर, पश्चिम—द्वारी ठाकुर, की जमीन पर आवेदिका पुर्वज स्व0 रामसहाय ठाकुर के समय से लगभग 70 वर्ष 1956 ई0 पुर्व से उपरोक्त खाता प्लॉट के जमीन मिट्टी का मकान बनाकर रहते चले आ रहे है। यह कि पूर्व में आवेदिका का घर मिट्टी एवं बॉस का खपरैल मकान बना हुआ था जो सन् 2003 ई0 जेठ महीना में	

आग से जलकार बर्बाद हो गया था। तब पुरे गॉव वाले मिलकर आवेदिका के घर को पुनः लकड़ी, बल्ला एवं बॉस से मदद कर घर बनवाकर दिए। जिसमें आवेदिका एवं उनके परिवार वाले आज तक रहते चले आ रहे तथा उस आग में आवेदिका का सारा समान एवं विवादित भूमि का कागजात भी जल कर बर्बाद हो गया। यह कि मौजा नावाडीह के स्थित उपरोक्त जमीन का सरकारी सर्वे भी हाल में किया गया। यह कि सर्वे में उपरोक्त विवादित जमीन आवेदिका चानो देवी के नाम से दर्ज है। यह कि आवेदिका के पति –बढ़न ठाकुर पूर्व में भी अनेको बार वासिगत पर्चा निर्गत करने का बिनती अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के न्यायालय में किये थे। यह कि बढ़न ठाकुर के भी दादा स्व0 रामराज ठाकुर भी जमाबंदी हेतु आवेदन दिए थें। यह कि चानो देवी (आवेदिका) एवं उनके पूर्वज दादा ससुर को मौखिक रूप से अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय लिपिक के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि उपरोक्त जमीन का बंदोबस्ती आवेदिका के पूर्वजो के पक्ष में कर दिया गया। यह कि आवेदिका एवं उनके पूर्वज पढ़े–लिखे नहीं रहने के कारण मौखिक आश्वासन पर विश्वास कर आज तक उपरोक्त जमीन पर रहते चले आ रहे है। यह कि आज से तीन माह पूर्व विपक्षी एवं उनके उनके परिवार के लोगों द्वारा आवेदिका एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों को धमकी दिया गया कि उपरोक्त जमीन मेरा है। इस जमीन का कागजात मैं बना लिया हूँ। यह कि तब आवेदिका इसकी जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के न्यायालय से इसकी जानकारी उपरोक्त विवादित जमीन बाबत आवेदन दि0 24/04/2017 को दी। यह कि उक्त सूचना अधिकार आवेदन के आलोक में आवेदिका को एक छाया प्रति एक पृष्ठ की प्राप्त करवाया गया जिसमें यह सूचना दी गई कि ग्राम–नावाडीह, थाना नं0–214, खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176 रकवा–0.70 एकड़ का जमाबंदी रामलखन पासवान पिता दासो पासवान के नाम से पृष्ठ संख्या 135 A/1 पर दर्ज है जिसमें बंदोबस्ती केश नं0–17/88–89 दिनांक–08.05.1989 के अनुसार नाम दर्ज किया गया तथा **भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है।** यह कि आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से उपरोक्त जमीन का रजिस्टर II का नकल की भी मॉग की गई थी जो को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के सी0 आई0 एवं बड़ा बाबु यह भी बोले कि उपरोक्त विवादित जमीन रजिस्टर II में विपक्षी के नाम 1988–89 ई0 से दर्ज नहीं है। यह कि विपक्षी द्वारा हुजूर के न्यायालय को गलत सूचना देकर एवं भ्रमित

कर अवैध रूप से आवेदिका के जमीन को विपक्षी के नाम से बंदोबस्ती किया गया है क्योंकि आवेदिका उपरोक्त जमीन पर सन् 88-89 के पूर्व (लगभग 70 वर्ष पूर्व) से ही उपरोक्त विवादित जमीन पर मिट्टी का घर बना कर रही है तथा आज तक आवेदिका के कब्जे में उपरोक्त जमीन है। यह कि विपक्षी मूल रूप से वहाँ का रहने वाला भी नहीं है जबकि आवेदिका अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त जमीन पर रह रही है। यह कि विपक्षी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य लड़ाकु प्रवृति के है जबकि आवेदिका एवं उनके परिवार के सदस्य शांत स्वभाव के है। यह कि विपक्षी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य आवेदिका के साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला कर रहे है। यह कि आवेदिका को विपक्षी द्वारा जान मारने की धमकी भी जा रही है। यह कि ऐसी परिस्थिति में आवेदिका एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से क्षति पहुँच रही है। यह कि आवेदिका का आज तक विवादित जमीन पर दखल-कब्जा बरकरार है। यह कि आवेदिका विवादित भूमि का स्थल जॉच भौतिक रूप से एवं गॉव के लोगों द्वारा गवाही करवाने हेतु हुजूर के आदेशानुसार तैयार है। यह कि विपक्षी द्वारा आवेदिका को उक्त विवादित जमीन पर दावा को कोड़कर मकान बनाने जा रह है जोकि न्यायहित में गलत है तथा दोनों पक्षों के बीच तनाव ब्याप्त है। यह भी उल्लेखित किया गया है कि संबंधित अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा गलत ढंग से बिना स्थल जांच किए, बिना प्रथम पक्ष को सूचना दिए, विपक्षी के कागजातों को बिना अध्ययन किए विपक्षी रामलखन पासवान के नाम से मुकदमा वाली जमीन का दाखिल खारिज का आदेश बंदोबस्ती केस नं0-17/88-89 के आधार पर रजिस्टर - II खोल दिया और रसीद निर्गत होने लगा जबकि विपक्षी द्वारा बंदोबस्ती पर्चा केस नं0-78/88-89 है जो कि संदेहात्मक है। आवेदिका द्वारा विपक्षी के नाम से विवादित भूमि का बंदोबस्ती केश नं0-17/88-89 को खारीज करने, विपक्षी द्वारा विवादित भूमि पर दावा कोड़ कर मकान बनाने से रोकने एवं अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से उपरोक्त विवादित जमीन का रिपोर्ट मँगवाकर आवेदिका के पक्ष में विवादित भूमि का साक्ष्य के आधार पर आवेदिका के पक्ष में बंदोबस्ती करने का आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि द्वितीय पक्ष रामलखन पासवान अनुसूचित जाति के हैं तथा एक गरीब किसान हैं। यह कि द्वितीय पक्ष को ग्राम-नावाडीह, थाना नं0-198, थाना-प्रतापपुर, जिला-चतरा का खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-176, रकवा-70 डी0 जमीन, जिसकी चौहद्दी उत्तर-रोड़, दक्षिण-अहरी, पूरब-बैजनाथ ठाकुर, पश्चिम-कृष्णा मोहन साव, बन्दोबस्ती केश नं0-78/88-89 से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा से पर्चा एवं नक्शा सहित हासिल है। यह कि द्वितीय पक्ष के नाम से उक्त जमीन का सरकारी बन्दोबस्ती से जमीन मिलने के बाद जमीन का लगान निर्धारण भी हुआ और द्वितीय पक्ष सरकार को उक्त जमीन का

मालगुजारी भुगतान कर सरकारी मालगुजारी रसीद भी लगातार प्राप्त कर रहें है। यह कि द्वितीय पक्ष का उक्त बन्दोबस्ती वाली जमीन पर बन्दोबस्ती के समय से ही लगतार दखल कब्जा चला आ रहा है। यह कि द्वितीय पक्ष उक्त बन्दोबस्ती वाली जमीन में पक्का मकान भी बनवायें है तथा परिवार सहित उक्त मकान में कई वर्षों से रह रहे हैं। यह कि द्वितीय पक्ष के नाम पंजी-II में भी पृष्ठ संख्या-135 में दर्ज है। यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-176 का बन्दोबस्ती वाला जमीन में बन्दोबस्ती के समय से ही लगातार जोत-कोड़ कर फसल उपजाकर उपभोग कर रहें हैं। यह कि प्रथम पक्ष चानो देवी का उपरोक्त जमीन कभी भी कोई मकान नहीं था। प्रथम पक्ष का उक्त जमीन का कोई कागजात नहीं है। प्रथम पक्ष मनगढ़ंत कहानी बनाकर श्रीमान् के न्यायालय में मुकदमा की है। प्रथम पक्ष का या उसके पूर्वज का उपरोक्त जमीन पर कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। यह कि प्रथम पक्ष का उपरोक्त मुकदमा पर दावा बिल्कुल निराधार है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का मुकदमा को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

हस्तक्षेपक के विज्ञ अविधवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया है कि आवेदक जय प्रकाश प्रसाद पिता-मकसुदन प्रसाद, साकिन-पण्डेयपुरा खूर्द, थाना-हंटरगंज, जिला-चतरा की ओर से सविनय पूर्वक निवेदन निम्न प्रकार हैं-यह कि उपरोक्त मुकदमा चानो देवी के द्वारा रामलखन पासवान के विरूद्ध लाया गया है जो दोनों पक्षकार आपस में मिलकर सत्य बातों को छुपाकर श्रीमान् से अनुचित ढंग से आदेश पारित कराना चाह रहे हैं। यह कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदिका एवं विपक्षी का किसी प्रकार हक-हकियत स्वामित्व एवं दखल कब्जा नहीं है बराबर दखल कब्जा आवेदक का चला आ रहा है। यह कि प्रश्नगत जमीन खाता संख्या-29 प्लॉट संख्या-176 रकवा-1.23 एकड़ जमीन साकिन मौजा-नावाडीह थाना नं0-214 थाना-प्रतापपुर पुराना जिला हजारीबाग नया जिला चतरा जो सर्वे खतियान में आवेदक के पूर्वज बंधन साव एवं अकलु साव, दोनो पिता चुनी साव ग्राम नावाडीह थाना प्रतापपुर जिला हजारीबाग जिला चतरा के नाम से **सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास जमीन है**। यह कि सर्वे खतियान रैयत अपने जीवन काल में उपरोक्त वर्णित जमीन का शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहकर फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद निर्गत कराते रहें। यह कि बंधन साव के वारिशान एवं अकलु साव के वारिशान में बंटवारा सिविल कोर्ट, हजारीबाग द्वारा सन् 1934 ई0 में हुआ जो उपरोक्त खाता प्लॉट का

जमीन अकलु साव के वारिशान को मिला अकलु साव के पुत्र मथुरा साव रकवा 62 डी0, श्री अर्जुन प्रसाद पिता–गणेश साव के नाम हुकुमनामा रिटर्न के माध्यम से दिया जिसका रिटर्न मौजूद है तथा रकवा 61 डी0 मथुरा साव पिता अकलु साव अपने निजी रिटर्न के माध्यम से रखें। यह कि प्रश्नगत जमीन सर्वे खतियानी रैयत के वंशज हस्तक्षेपक आवेदक का है। यह कि आवेदक प्रश्नगत जमीन पर शांति पूर्वक काबिज दखलकार चला आ रहा है। यह कि उपरोक्त मुकदमें के न्यायिक निर्णय हेतु आवेदक को पक्षकर बनाया जाना आवश्यक है जो इनके उपस्थिति में श्रीमान के द्वारा आदेश पारित किया जा सकें। यह कि आवेदिका चानो देवी एवं विपक्षी रामलखन पासवान बिना किसी हक हकियत के ही दावा दखल करना चाह रहे है। यह कि रामलखन पासवान बासगीत पर्चा के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर दावा कर रहें है। यह कि विपक्षी रामलखन पासवान भूमिहिन व्यक्ति नहीं है। तथा इनके नाम से वासगित पर्चा से 70 डी0 जमीन बंदोबस्ती किया जाना नियम प्रतिकुल है। यह कि आवेदिका का प्रश्नगत जमीन पर किसी प्रकार का हक हकियत नहीं है तथा जाली कागजात के आधार हस्तक्षेपक/आवेदक का पैतृक रैयती जमीन को हड़पना चाह रहे है।

पुनः प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में हस्तक्षेपक के विरूद्ध उल्लेखित किया है कि यह है कि उपरोक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में दिनांक–17.05.2017 को द्वितीय पक्ष रामलखन पासवान के विरूद्ध खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176, कुल रकवा–70 डी0 मौजा–नावाडीह, अंचल प्रतापपुर, हल्का नं0–02, थाना नं0–214, थाना–प्रतापपुर, पंचायत–सिजुआ, चौहदी–उतर–रोड, दक्षिण–रामसहाय ठाकुर, पूरब–स्व0 रामसहाय ठाकुर, पश्चिम–द्वारी ठाकुर, भूमि बाबात द्वितीय पक्ष रामलखन पासवान के नाम से बंदोबस्ती केश नं0–17/88–89 को रद्द करने हेतु प्रथम पक्ष आवेदन दी गई है। यह कि वर्तमान में उपरोक्त वाद अंतिम बहस हेतु लंबित है। यह कि हस्तक्षेपक जयप्रकाश प्रसाद उपरोक्त खाता, प्लॉट की जमीन भू–माफिया की साठ–गॉठ से फर्जी हुकुमनामा दस्तावेज दिखाकर कुछ विभागीय साठ–गॉठ से धन बल एवं भय दिखाकर उक्त जमीन को हड़पना चाहते है। यह कि श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त खाता प्लॉट जमीन के बावत संबंधित अंचल अधिकारी, कार्यालय प्रतापपुर के द्वारा रिपोर्ट भी दी गई, जिसमें हस्तक्षेपक का कोई चर्चा नहीं की गई है। यह कि हस्तक्षेपक जयप्रकाश प्रसाद एवं द्वितीय पक्ष रामलखन पासवान द्वारा प्रथम के पूर्वजों के नाम से दर्ज जमीन जो 1956 ई0 पूर्व से उपरोक्त खाता प्लॉट

की जमीन पर मिट्टी का मकान बनाकर रहते चले आ रहे है एवं पूरे जमीन पर दखलकार है। हड़पने के नियत से जाली कागजात हुकुमनामा एवं पर्चा प्रस्तुत किये है जो कि संदेहास्पद नजर आती है। यह कि ऐसी परिस्थिति में श्रीमान् के द्वारा संबंधित अचंल अधिकारी, प्रतापपुर से पुनः रिपोर्ट की मांग की आवश्यकता है। यह कि हस्तक्षेपक का आवेदन अंतिम बहस के समय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा हस्तक्षेपक का आवेदन को खारिज कर प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

पुनः द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में हस्तक्षेपक के विरूद्ध उल्लेखित किया है कि उक्त वाद में हस्तक्षेपक का आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है तथा खारिज के योग्य है। यह कि हस्तक्षेपक गलत तथ्यों के आधार पर यह आवेदन पत्र दाखिल किया है। यह कि प्रश्नगत खाता प्लॉट के अन्तर्गत जमीन का बावत हस्तक्षेपक के पूर्वज तथा स्वयं हस्तक्षेपक के नाम से डिमाण्ड नहीं चल रहा है। यह कि प्रश्नगत खाता प्लॉट सर्वे खतियान में **गैरमजरूआ खास दर्ज है** तथा जमीन्दारी खत्म होने के बाद सरकार का स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हुआ। यह कि प्रश्नगत खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176, रकवा–70 डी0 जमीन पर विपक्षी रामलखन पासवान का पूर्व से घर मकान बना हुआ है तथा शेष भूमि पर खेती–बारी कर रहें है। यह कि विपक्षी रामलखन पासवान का प्रश्नगत भूमि पर दखल पूर्व से कब्जा एवं मकान बना हुआ है देखकर अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा बंदोबस्ती केश नं–17/88–89 के द्वारा वासिगत पर्चा निर्गत किया गया है। यह कि यदि हस्तक्षेपक आवेदक का प्रश्नगत भूमि खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176 के बावत कोई हस्तक्षेपक है तब वह दिवानी न्यायालय में अपना हक–हकियत का निर्धारण करवाना चाहिए। यह कि रेवन्यु कोर्ट को हक–हकियत निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि हस्तक्षेपक आवेदक के द्वारा सरकार द्वारा निर्गत वासिगत पर्चा का आज तक सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है। हस्तक्षेपक का आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक–428, दिनांक–27.08.2018 में अंकित है कि– "विविध वाद सख्या–88/2017–18 चानो देवी बनाम रामलखन पासवान ग्राम–नावाडीह का विवादित भूमि का खाता सख्या–29 प्लॉट संख्या–176 रकवा–1.23 ए0 भूमि का जॉच प्रतिवेदन

निम्न प्रकार है–

हल्का कार्यालय में उपलब्ध गैरमजरूआ खास पंजी–II के अनुसार ग्राम–नावाडीह के थाना संख्या–214 के अन्तर्गत खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176, रकवा–1.23 एकड़ भूमि किस्म जंगल दर्ज है। वर्तमान पंजी–II के अनुसार जमाबंदी रैयत निम्नप्रकार है।

क्र0	रैयत का नाम	ग्राम	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	लगान	पृष्ट सं0	बन्दोबस्त केश सं0
1	रामलखन पासवान	नावाडीह	214	29	176	0.70 ए0	0.70	1/135B	17/88–89

चानो देवी पति बढ़न ठाकुर ग्राम–नावाडीह के नाम से खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–176, रकवा–1.23 ए0 भूमि से संबंधित वर्तमान पंजी–II में जमाबंदी कायम नहीं हैं स्थल जॉच एवं पुछताछ के क्रम में पाया गया कि नावाडीह थाना संख्या–214 के अंतर्गत खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–176 में लगभग 0.02 या 0.03 ए0 भूमि पर चानो देवी पति–बढ़न ठाकुर का मिट्टी खपरैल का मकान बना हुआ है। ग्रामीणें ने बताया कि चानो देवी इस मकान में कई वर्ष से रह रही हैं तथा इसी प्लॉट 176 में लगभग 0.05 ए0 पर रामलखन पासवान पिता–स्व0 दासो पासवान का भी ईट का दिवाल ढलाई स्तर तक तैयार हैं।''

दिनांक–09.09.2021 को द्वितीय पक्ष द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक प्रतापपुर का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि–''ग्राम–नावाडीह के खाता संख्या–29 प्लॉट संख्या–176 रकवा–0.70 ए0 विवादित भूमि का स्थल जॉच किया, एवं वहा के ग्रामिणो से पुछताछ किया एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन किया, उक्त ग्राम के खाता प्लॉट का सर्वे खतियान का भी अवलोकन किया। जॉचोपरांत पाया कि उक्त खाता की भूमि पर ग्राम–नावाडीह के रामलखन पासवान पिता–दासो पासवान का पक्का ईट, बालु सिमेन्ट का मकान बना है, जिसमें सात रूम एक बरन्डा एक शौचालय रूम बना हुआ है जो उपर का ढ़लाई नही है अर्धनिर्मित है। मकान के बाहर में एक चापाकल गड़ा हुआ है एवं तीन स्मारक बना हुआ है, जो रामलखन पासवान द्वारा उनके पूवर्जो का नाम उसमें अंकित है एवं वहॉ के ग्रामीणों से पुछताछ किया। रामलखन पासवान के अर्धनिर्मित मकान के पूर्व में विवादित भूमि पर चानो देवी, पति–बढ़न ठाकुर का कच्चा मिट्टी का दो रूम बना हुआ है। उक्त खाता प्लॉट की 0.70 ए0 विवादित भूमि

रामलखन पासवान ग्राम–नावाडीह को बन्दोबस्ती पर्चा से प्राप्त है, जिसका बन्दोबस्ती केश संख्या–78/88–89 है एवं सरकारी अमीन द्वारा नक्शा भी बनाया गया है, अंचल कार्यालय प्रतापपुर के राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी कायम कर लगान वसुल कर रामलखन पासवान पिता–दासो पासवान के नाम उक्त खाता प्लॉट के 0.70 डी0 भूमि का दो रसीद निर्गत है। जिसका रसीद संख्या (1) 056994 लगान वसुल वर्ष 85–86 से वर्ष 1994–95 तक (2) रसीद संख्या–32060 लगान वसुल वर्ष 2001–02 वर्ष 02–03 तक एवं इनके नाम से ऑनलाईन जमाबंदी भी कायम है। **ये भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की है।** इसका रकवा 1.23 एकड़ है। **जमीन किस्म जंगल–झाड़ी है।** भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा के पत्रांक 469 दिनांक–13.12.2017 के आलोक में विविध वाद सख्या–88/17–18 में पूर्व के राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्यालय को विवादित खाता प्लॉट के प्रतिवेदन दिया जा चुका है। जिसका अंचल कार्यालय, प्रतापपुर के पत्रांक–428, दिनांक–27.08.2018 से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है। चानो देवी, पति–बढ़न ठाकुर, ग्राम–नावाडीह द्वारा एक पंजी–II का छायाप्रति दिया गया है। यह पंजी–II को किशुन हजाम पिता–रामसहाय हजाम का नाम से खाता संख्या–29 प्लॉट नहीं है रकवा–1. 23 एकड़ 1962–63 दर्ज है। लगान वसुल रसीद निर्गत नहीं है। **अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि–** "आवेदक रामलखन पासवान को भूमि बंदोबस्ती पर्चा से हासिल है, जिसका केश नम्बर–78/88–89 है, जिसका खाता संख्या–29, प्लॉट–176, रकवा–70 डी0 है। इसी भूमि पर रामलखन पासवान का अर्धनिर्मित मकान बना है। विपक्षी चानो देवी, पति–बढ़न ठाकुर का इस भूमि से संबंधित पंजी– II में नाम दर्ज नहीं है एवं रसीद भी नहीं है।"

⟹प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष एवं हस्तक्षेपक के कारण पृच्छा में उल्लेखित बिन्दुओं तथा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते हैः–

1. **गैरमजरूआ खास भूमि का मामला।**
2. **किस्म जंगल/जंगल झाड़ी का मामला।**
3. **सरकारी बंदोबस्ती का मामला।**

1. गैरमजरूआ खास भूमि का मामला– अचंल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक–428, दिनांक–27.08.2018 में अंकित है कि– "विविध वाद सख्या–88/2017–18 चानो देवी बनाम रामलखन पासवान ग्राम–नावाडीह का विवादित भूमि का खाता सख्या–29 प्लॉट संख्या–176 रकवा–1.23 ए0 भूमि का जॉच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है–**हल्का कार्यालय में उपलब्ध गैरमजरूआ खास पंजी–II के अनुसार ग्राम–नावाडीह के थाना संख्या–214 के अन्तर्गत खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176, रकवा–1.23 एकड़ भूमि किस्म जंगल दर्ज है।**

2. किस्म जंगल/जंगल झाड़ी का मामला– अचंल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक–428, दिनांक–27.08.2018 में अंकित है कि– हल्का कार्यालय में उपलब्ध गैरमजरूआ खास पंजी–II के अनुसार ग्राम–नावाडीह के थाना संख्या–214 के अन्तर्गत खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–176, रकवा–1.23 एकड़ भूमि **किस्म जंगल दर्ज है।** साथ ही दिनांक–09.09.2021 को द्वितीय पक्ष द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक प्रतापपुर का जॉच प्रतिवेदन की प्रति समर्पित किया गया है, जिसमें अंकित है कि–ये भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की है। इसका रकवा 1.23 एकड़ है। **जमीन किस्म जंगल–झाड़ी है।** भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा के पत्रांक 469 दिनांक–13.12.2017 के आलोक में विविध वाद सख्या–88/17–18 में पूर्व के राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्यालय को विवादित खाता प्लॉट के प्रतिवेदन दिया जा चुका है। जिसका अंचल कार्यालय, प्रतापपुर के पत्रांक–428, दिनांक–27.08.2018 से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है।

3. सरकारी बंदोबस्ती का मामला– अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– **"आवेदक रामलखन पासवान को भूमि बंदोबस्ती पर्चा से हासिल है, जिसका केश नम्बर–78/88–89 है, जिसका खाता संख्या–29, प्लॉट–176, रकवा–70 डी0 है।** इसी भूमि पर रामलखन पासवान का अर्धनिर्मित मकान बना है। विपक्षी चानो देवी, पति–बढ़न ठाकुर का इस भूमि से संबंधित पंजी– II में नाम दर्ज नहीं है एवं रसीद भी नहीं है।"

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के

कंडिका (II) एवं कंडिका (V) के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई किया जाना है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0,दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01. 1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0,दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (V) के अनुसार– "जिन मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को नियमतः गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती/गृह स्थल बंदोबस्ती की गई है, उन मामलों में बंदोबस्ती पंजी, पट्टा एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापनोपरांत पूर्णतः संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी आदेश पारित करेंगे तथा पंजी–II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे। विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। यदि ऐसे मामलों जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो उसका निष्पादन उपरोक्त दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय।"

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, रांची का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (vii) में अंकित है कि– " खतियान में जंगल, जंगल–झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 " में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8–78/1996–FC (pt) dated- 10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।"

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को आदेश दिया जाता है कि पुनः संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए एवं भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए आदेश विधिसम्मत पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

09/09/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

09/09/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2021.12.26 21:14:29 -08:00
Location: 2409:4064:2ea9:db7f:4813:47ca:9b65:19dc